

Title of the project :- 220KV D/C Ajmer- Bherunda Line.

प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/29091/2017

प्रसंग :- F14(Trans) 2017/FCA/PCCF/EDS-1Jaipur Dated 10.11.2017

टिप्पणी क्रमांक	टिप्पणी	विवरण
1.	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिंदु संख्या B-1 में यूजर एजेंसी द्वारा पूर्व में एक प्रस्ताव में सैधांतिक स्वीकृति 6.1.17 को जारी हुई है किन्तु अभी तक उसकी पालना नहीं की गई है कारण सहित अपना स्पस्टीकरण दिया जाना प्रस्तावित है	चालान बनाने हेतु DFO अजमेर में पत्रावलीप्रेषित है और चालान बनने पर जमा प्राप्ति की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी जाएगी
2	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिंदु संख्या B-2.3 में यूजर एजेंसी द्वारा ग्राम वार वन / गैर वन भूमि का विवरण में अजमेर में 3.01 हे० एवं नागौर में 0.91 हे० वन भूमि ली गई है किन्तु अजमेर के भीमा डूंगरी वनखंड एवं नागौर के पिलवा वनखंड का वन क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त नागौर जिले के लिए गए वनक्षेत्र को भी छोड़ दिया गया है जिसे स्थानीय वन अधिकारी से संपर्क कर सही क्षेत्र भरा जाना प्रस्तावित है	अजमेर व नागौर का वन क्षेत्र क्रमशः 3.01 हेक्टेयर और 0.91 हेक्टेयर, दिनांक 15-05-17 व 01-08-17 के मोका पर्चा के Co-ordinate से लिया गया है और उक्त लाइन अजमेर के भीमा डूंगरी वन खंड और नागौर के पिलवा वन खंड में से नहीं गुजर कर, पास से गुजर रही है।
3	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिंदु संख्या C-b(iii) में यूजर एजेंसी द्वारा संलग्न की गई KML file संलग्न DGPS Map के अनुसार नहीं है दोनों के दर्शाये गए वनक्षेत्र में अत्यधिक अंतर है इसके अतिरिक्त अजमेर जिले का पोलीगोन 2.99 हे० दर्शाया गया है जबकि क्षेत्र में 3.01 हे० वन क्षेत्र माँगा गया है उक्त भिन्नता को दूर किया जाना है संशोधित KML file ,GT Sheet & DGPS mapदिया जाना प्रस्तावित है	संशोधित KML file ,GT Sheet & DGPS map संलग्न है  (A. K. SINGHAL) Executive Engineer (T&C) RVPNL. Ajmer
4	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिंदु संख्या D में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्ताव का औचित्यता संलग्न की गई है वैकल्पिक मार्गों को KML file में दिया जाना प्रस्तावित है	संलग्न है

5	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिंदु संख्या K में यूजर एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं इसमें अजमेर जिले द्वारा 3.6225 है० एवम् नागौर जिले द्वारा 1.12 है० हेतु वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है किन्तु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय वन क्षेत्र अजमेर जिले में 3.01 है० एवम् नागौर जिले में 0.91 है० क्षेत्र रखा गया है क्या पारेषण लाइन पूर्ववर्ती एलायमेंट बदल दिया गया है या दिए गए वनाधिकार में उक्त खसरो का विवरण संलग्न नहीं है 1 कारण सहित स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है साथ ही नागौर जिले की जिला स्तरीय समिति का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है 1	दिनांक 15-5-17 को हुए मोका पर्चा के अनुसार अजमेर वन क्षेत्र में 3.92 है० तथा नागौर वन क्षेत्र में 1.12 है० आ रहा है , के अनुसार माननीय जिला कलेक्टर महोदय अजमेर व नागौर में FRA हेतु आवेदन प्रस्तुत किया . इसी क्रम में माननीय जिला कलेक्टर महोदय नागौर द्वारा 1.12 है० का FRA प्रमाण पत्र जारी किया गया जबकि मोका पर्चा में दिये Co-ordinate को KML file में लेने पर नागौर वन क्षेत्र में 0.91 है० ही आ रहा है 1 इसी प्रकार माननीय जिला कलेक्टर महोदय अजमेर द्वारा 3.6225 है० का FRA प्रमाण पत्र जारी किया गया जो कि दिनांक 01-08-17 को हुए मोका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आवेदित लाइन हेतु आवश्यक भूमि 3.6225 है० (85 मीटर कम करने पर) ही आ रही है क्योंकि खसरा न. 69 और 23/2476 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सिवायचक भूमि है जबकि मोका पर्चा में दिये Co-ordinate को KML file में लेने पर अजमेर वन क्षेत्र में 3.01 है० (अजमेर के एंटी पॉइंट Co-ordinate से 85 मीटर कम करने पर) ही आ रहा है 1 साथही नागौर जिले की जिला स्तरीय समिति का विवरण संलग्न है1 साथ ही नागौर जिले में अनुसूचित जनजाति आदि परम्परागत वन निवासी , वन क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं ,का पत्र संलग्न है 1
6	1. संशोधित बार चार्ट 2. प्रस्तावित टावर का माप एवम् वन / गैर वन क्षेत्र में लगने वाले टावर की लोकेशन के अक्षांश एवम् देशांतर संख्या 3. दुग्ने अनवत वन पर वृक्षारोपण किये जाने की शर्त की पालना में शपथ पत्र 4. सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र	संगलन है  (A. K. SINGHAL) Executive Engineer (T&C) RVPNL. Ajmer